LEGISLATIVE ASSEMBLY
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
Bulletin Part-I
(Brief summary of proceedings)
Thursday, 27 March 2025 / 06 Chaitra 1947 (*Saka*)

No. 09
11.06 AM **Sh. Vijender Gupta, Hon'ble Speaker in-Chair**

1. 11.06 AM **Statement by the Chair :**
The Chair referred to the objections raised by Opposition Member that sitting of the House had been extended without following prescribed Rules & Procedure on 26 March 2025.
He clarified that sitting of House had been extended as per Rule-15 of Rules of Procedure and Conduct of Business in the Legislative Assembly which stipulates that *after the commencement of a Session, the assembly shall sit on such days as the Speaker may, from time to time, having regard to the state of business of the Assembly and in consultation with the House, determine.*

2. 11.07 AM **Question Hour :**
Starred Questions No. 41 to 45 were asked and replied to. Replies to Starred Questions No. 46 to 60 and Un-Starred Questions No. 131 to 190 were laid on the table except reply to Un-Starred Question No. 191, which was not received.
11.26 AM: Members of Opposition Party raised objection of absence of Hon'ble Chief Minister during Question Hour. The Chair referred the provisions of Rule-38 and gave direction that this issue should not be raised again in future.
Members of Opposition raised objection on some remarks made by Shri Parvesh Sahib Singh, Hon'ble Minister and arguments were exchanged from both ruling and Opposition parties.
Pandemonium ensued.
11.50 AM : The Chair named Shri Vishesh Ravi & Shri Kuldeep Kumar, Hon'ble Members of Opposition and escorted them out for obstructing the proceedings of the House during Question Hour.

3. 12.08 PM The Chair greeted Shri Raj Kumar Chauhan, Hon'ble Member on his birthday.

4. 12.09 PM The Chair informed the House that he had received a letter from Smt. Atishi, Hon'ble Leader of Opposition stating therein that Notices under Rule-280 submitted by some Members had been disallowed by the Hon'ble Speaker.
The Chair referred to the provisions of Rule-280. He stated that Delhi Legislative Assembly follows the Rajya Sabha Rules in this regard and cited the Rule-180 B (ii) & (iii) of Rules of Procedure and Conduct of Business in Rajya Sabha. He gave a ruling that the matter which has already been raised, not under the purview of Delhi Government or intended to organized disruption of the House shall not be allowed. He also warned that the Opposition should not rush to the Media first, instead of apprising him of their grievance. He clarified that no discussion will be allowed which aims to waste the time of the House for political gains and Media glory.
12.22 PM : *Smt. Atishi, Hon'ble Leader of Opposition walked out of the House.*
12.23 PM : *The Chair named Shri Mukesh Kumar Ahlawat, Hon'ble Member of Opposition and escorted him out for obstructing the proceedings of the House. Remaining Hon'ble Members of Opposition Party walked out in protest.*

5. 12.23 PM **Special Mention (Rule-280) :**
The following Members raised matters under Rule-280 with the permission of the Chair:
    1. Shri Mohan Singh Bisht
    2. Smt. Poonam Sharma
    3. Shri Chandan Kumar Choudhary
    4. Shri Sahi Ram
    5. Shri Tarvinder Singh Marwah
    6. Shri Kulwant Rana
    7. Shri Raj Kumar Chauhan
    8. Shri Kuldeep Solanki
    9. Shri Sanjeev Jha
    10. Shri Parduymn Singh Rajput
    11. Shri Ashok Goel
    12. Shri Gajender Drall
    13. Shri Abhay Verma

6. 01.08 PM **The Chair adjourned the House upto 02.00 PM for *Lunch-Break.***

7. 02.03 PM **House reassembled.**
Hon'ble Speaker in-Chair.

8. 02.04 PM **Statement by the Chair :**
The Chair informed the House that in its sitting held on 04th December, 2024, the Seventh Legislative Assembly had adopted three Motions to the effect that unfinished work of the Committee of Privileges, Committee on Petition and Committee on Question and Reference be examined by the respective Committees of the Eighth Legislative Assembly under Rule-183.
The Chair further informed that he had examined all the pending matters and reached to the conclusion that Eighth Assembly should not proceed further in these matters. Some of the matters before these Committees are pending since long and no sitting was held to examine them. Moreover, it also led to litigation in the High Court. He observed that the Committees of Eighth Legislative Assembly should start on a clean state and not to be entangled with the matters which appear to be motivated. He requested the House to take a call whether these matters need to be pursued or drooped.

9. 02.09 PM **Motions (Rule-107) :**
Shri Abhay Verma, Hon'ble Chief Whip moved the following Motion :
"*Whereas in its sitting held on 04th December, 2024, the VII Assembly adopted three Motions to the effect that unfinished work of the Committee of Privileges, Committee on Petitions and Questions and Reference Committee be examined by the respective Committees of the VIII Assembly under Rule-183;*
Whereas the provision under Rule-183 is to be used sparingly and only in important matters where the Committee could not finish the work before the dissolution of the House;
Whereas most of the pending matters were either not examined by the Committees or kept pending without submitting any Reports for years together;
Whereas some of the matters involving the Officers of the Delhi Government had led to litigation in the Delhi High Court;
Now, therefore this House decides that no further action be taken on the pending matters referred to the Committee of Privileges, Committee on Petitions and Questions and Reference Committee during the VI and VII Assembly and the same may be treated as disposed."
The Motion was put to vote and adopted by voice-vote.

10. 02.12 PM **Discussion on Annual Budget (2025-26) :**
Discussion on Annual Budget (2025-26) presented by **Smt. Rekha Gupta, Hon'ble Chief Minister/Minister of Finance** on 25 March 2025 continued.

16. Smt. Poonam Sharma
17. Shri Tarvinder Singh Marwah
18. Shri Om Prakash Sharma
19. Shri Jarnail Singh
20. Shri Mohan Singh Bisht, Hon'ble Deputy Speaker
21. Shri Raj Kumar Bhatia
22. Shri Gopal Rai
23. Shri Ashok Goel
24. Shri Kulwant Rana
25. Shri Vishesh Ravi
26. Shri Chandan Kumar Choudhary
27. Shri Surya Prakash Khatri

11. 04.01 PM **The Chair adjourned the House for 15 Minutes for *Tea-Break.***

12. 04.18 PM **House reassembled.**
Hon'ble Speaker in-Chair.

13. 04.18 PM **Discussion on Annual Budget (2025-26) :**
Discussion on Annual Budget (2025-26) presented by **Smt. Rekha Gupta, Hon'ble Chief Minister/Minister of Finance** on 25 March 2025 continued.

28. Dr. Ajay Dutt
    The Chair directed to expunge part of speech of Dr. Ajay Dutt.
29. Shri Ravinder Singh Negi
    04.28 PM : *The Chair named Dr. Ajay Dutt, Hon'ble Member of Opposition and escorted him out for obstructing the proceedings of the House.*

30. Shri Virender Singh Kadian
31. Smt. Shikha Roy
32. Shri Prem Chauhan
33. Shri Abhay Verma

05.00 PM : Taking the sense of the House, The Chair extended the sitting of the House for one hour.

34. Shri Manoj Kumar Shokeen
35. Shri Ashish Sood, Hon'ble Minister
36. Smt. Atishi, Hon'ble Leader of Opposition

06.00 PM : Taking the sense of the House, The Chair extended the sitting of the House for another one hour.

Smt. Rekha Gupta, Hon'ble Chief Minister/Minister of Finance replied to the discussion.

14. 06.34 PM **Consideration & Passing of Demands for Grants for the financial year 2025-26:**
The Demands for Grants presented on 25 March 2025 by **Smt. Rekha Gupta Hon'ble Chief Minister/Minister of Finance** were considered demand-wise.
The Demands were put to vote and adopted by voice vote.

15. 06.53 PM **Appropriation (No. 2) Bill, 2025 :**
Smt. Rekha Gupta, Hon'ble Chief Minister/Minister of Finance introduced the '*The Delhi Appropriation (No. 2) Bill, 2025'* (Bill No. 02 of 2025) with the leave of the House.
The Motion was put to vote and adopted by voice-vote.
The Bill was considered clause-wise.
Smt. Rekha Gupta, Hon'ble Chief Minister/Minister of Finance moved that the Bill be passed.
The Motion was put to vote and adopted by voice-vote.

16. 06.56 PM **The Chair adjourned the House upto 11.00 AM on Friday, 28 March 2025.**

Delhi
27 March, 2025

Ranjeet Singh
Secretary

विधान सभा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
समाचार भाग–1
(कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख)
वीरवार, 27 मार्च, 2025 / चैत्र 06, 1947 (शक्)

संख्या–09

11.06 बजे **श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए।**

1. 11.06 बजे **अध्यक्ष महोदय द्वारा वक्तव्य :**

अध्यक्ष महोदय ने प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा उठाई गई इस आपत्ति का उल्लेख किया कि 26 मार्च 2025 को सदन की बैठक निर्धारित नियम एवं प्रक्रिया का पालन किये बिना बढ़ा दी गई।

उन्होंने स्पष्ट किया कि सदन की बैठक विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम–15 के अनुसार बढ़ाई गई, जिसके अनुसार, *सत्र के आरम्भ होने के पश्चात् सभा उन दिनों बैठेगी जिनको अध्यक्ष सभा के कार्य की स्थिति को देखकर तथा सदन के नेता के परामर्श से समय–समय पर निश्चित करें।*

2. 11.07 बजे **प्रश्न काल :**

तारांकित प्रश्न संख्या 41 से 45 पूछे गये तथा उत्तर दिये गये। तारांकित प्रश्न संख्या 46 से 60 तथा अतारांकित प्रश्न संख्या 131 से 191 के उत्तर सदन पटल पर प्रस्तुत किये गये, अतारांकित प्रश्न संख्या 191 को छोड़कर, जिसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

11.26 बजे : प्रतिपक्ष के सदस्यों ने प्रश्नकाल के दौरान माननीय मुख्यमंत्री के उपस्थित न होने पर आपत्ति प्रकट की। अध्यक्ष महोदय ने नियम–38 के प्रावधानों का उल्लेख किया और निर्देश दिया कि यह मामला भविष्य में न उठाया जाये।

प्रतिपक्ष के सदस्यों ने श्री प्रवेश साहिब सिंह, माननीय मंत्री द्वारा की गई टिप्पणी पर आपत्ति प्रकट की तथा सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दलों के मध्य तर्क–वितर्क हुआ।

शोर–शराबा प्रारम्भ हुआ।

11.50 बजे *: अध्यक्ष महोदय ने श्री विशेष रवि और श्री कुलदीप कुमार, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को इंगित किया तथा उन्हें प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के कारण बाहर भेजा गया।*

3. 12.08 बजे अध्यक्ष महोदय ने श्री राज कुमार चौहान, माननीय सदस्य को उनके जन्मदिन की बधाई दी।

4. 12.09 बजे अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि उन्हें श्रीमती आतिशी, माननीय नेता प्रतिपक्ष से पत्र प्राप्त हुआ है, जिसके अंतर्गत कुछ सदस्यों द्वारा नियम–280 के तहत दी गई सूचनाओं को अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमति न दिये जाने का उल्लेख किया गया है।

अध्यक्ष महोदय ने नियम–280 के प्रावधानों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा इस संबंध में राज्यसभा के नियमों का पालन करती है। उन्होंने इस संबंध में राज्यसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम–180 बी (ii) एवं (iii) को उद्धृत किया और व्यवस्था दी कि जो मामला पहले उठाया जा चुका है, जो दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है या जिसका उद्देश्य सदन में संगठित व्यवधान करना

है, उसे अनुमति नहीं दी जायेगी। उन्होंने चेतावनी भी दी कि प्रतिपक्ष को अपनी शिकायत मुझे बताने की बजाय पहले मीडिया में नहीं जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसी किसी चर्चा की अनुमति नहीं दी जायेगी, जिसका उद्देश्य राजनीतिक लाभ के लिये सदन का समय खराब करना और मीडिया में महिमा अर्जित करना है।

12.22 बजे : श्रीमती आतिशी, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने सदन से बहिर्गमन किया।

12.23 बजे : अध्यक्ष महोदय ने प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य श्री मुकेश कुमार अहलावत को इंगित किया तथा सदन की कार्यवाही को बाधित करने के कारण उन्हें बाहर भेज दिया। प्रतिपक्ष के शेष माननीय सदस्यों ने विरोधस्वरूप बहिर्गमन किया।

5. 12.23 बजे **विशेष उल्लेख (नियम–280) :**

निम्नलिखित सदस्यों ने अध्यक्ष महोदय की अनुमति से नियम–280 के अंतर्गत मामले उठाये :–

1	श्री मोहन सिंह बिष्ट, माननीय उपाध्यक्ष	8	श्री कुलदीप सोलंकी
2	श्रीमती पूनम शर्मा	9	श्री संजीव झा
3	श्री चंदन कुमार चौधरी	10	श्री प्रद्युम्न सिंह राजपूत
4	श्री सही राम	11	श्री अशोक गोयल
5	श्री तरविंदर सिंह मारवाह	12	श्री गजेंद्र दराल
6	श्री कुलवंत राणा	13	श्री अभय वर्मा, माननीय मुख्य सचेतक
7	श्री राजकुमार चौहान		

6. 01.08 बजे **अध्यक्ष महोदय ने सदन भोजनावकाश के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक स्थगित किया।**

7. 02.03 बजे **सदन पुनः समवेत हुआ।**
अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।

8. 02.04 बजे **अध्यक्ष महोदय द्वारा वक्तव्य :**

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि 04 दिसम्बर, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में सातवीं विधानसभा ने तीन प्रस्ताव पारित किये थे कि विशेषाधिकार समिति, याचिका समिति और प्रश्न एवं संदर्भ समिति के अधूरे कार्य की जांच नियम–183 के अंतर्गत आठवीं विधानसभा की संबंधित समितियों द्वारा की जाये।

अध्यक्ष महोदय ने आगे बताया कि उन्होंने सभी लम्बित मामलों की जांच की है और इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आठवीं विधानसभा को इन मामलों में आगे कार्यवाही नहीं करनी चाहिए। समितियों के समक्ष कुछ मामले लम्बे समय से लम्बित हैं और उनकी जांच के लिए कोई बैठक नहीं हुई। इसके अतिरिक्त, इनसे उच्च न्यायालय में केस भी दायर हुये। उन्होंने कहा कि आठवीं विधानसभा की समितियों को एक स्वच्छ स्थिति से शुरूआत करनी चाहिए और उन मामलों में नहीं उलझना चाहिए जो प्रेरित प्रतीत होते हैं। उन्होंने सदन से अनुरोध किया कि वह इस बात पर विचार करे कि क्या इन मामलों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए या स्थगित कर दिया जाना चाहिए।

9. 02.09 बजे **प्रस्ताव (नियम–107) :**

श्री अभय वर्मा, माननीय मुख्य सचेतक ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया :–

"चूँकि 04 दिसंबर 2024 को आयोजित अपनी बैठक में, सातवीं विधानसभा ने तीन प्रस्ताव पारित किए थे कि विशेषाधिकार समिति, याचिका समिति और प्रश्न एवं संदर्भ समिति के

अधूरे कार्यों की जांच आठवीं विधानसभा की संबंधित समितियों द्वारा नियम–183 के अंतर्गत की जाए;

जबकि, नियम–183 के अंतर्गत प्रावधान का उपयोग बहुत कम और केवल महत्वपूर्ण मामलों में किया जाता है, जहाँ समिति सदन के भंग होने से पहले काम पूरा नहीं कर सकती;

जबकि, अधिकांश लंबित मामलों की या तो समितियों द्वारा जांच ही नहीं की गई या उन्हें कई वर्षों तक कोई रिपोर्ट प्रस्तुत किए बिना, लंबित रखा गया;

जबकि, दिल्ली सरकार के अधिकारियों से जुड़े कुछ मामलों के कारण दिल्ली उच्च न्यायालय में केस भी दायर हुए थे;

अतः यह सदन निर्णय लेता है कि छठी और सातवीं विधानसभा के दौरान विशेषाधिकार समिति, याचिका समिति और प्रश्न एवं संदर्भ समिति को भेजे गए लंबित मामलों पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाए तथा उन्हें निपटाया हुआ माना जाए।''

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा ध्वनिमत से स्वीकार हुआ।

10. 02:12 बजे **वार्षिक बजट (2025–26) पर चर्चा :**

श्रीमती रेखा गुप्ता, माननीय मुख्यमंत्री/वित्त मंत्री द्वारा दिनांक 25 मार्च 2025 को प्रस्तुत वार्षिक बजट (2025–26) पर चर्चा प्रारम्भ हुई।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :–

16. श्रीमती पूनम शर्मा
17. श्री तरविंदर सिंह मारवाह
18. श्री ओम प्रकाश शर्मा
19. श्री जरनैल सिंह
20. श्री मोहन सिंह बिष्ट, माननीय उपाध्यक्ष
21. श्री राज कुमार भाटिया
22. श्री गोपाल राय
23. श्री अशोक गोयल
24. श्री कुलवंत राणा
25. श्री विशेष रवि
26. श्री चंदन कुमार चौधरी
27. श्री सूर्य प्रकाश खत्री

11. 04:01 बजे **अध्यक्ष महोदय ने सदन जलपान के लिए 15 मिनट के लिए स्थगित किया।**

12. 04:18 बजे **सदन पुनः समवेत हुआ।**

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।

13. 04:18 बजे **वार्षिक बजट (2025–26) पर चर्चा :**

श्रीमती रेखा गुप्ता, माननीय मुख्यमंत्री/वित्त मंत्री द्वारा दिनांक 25 मार्च 2025 को प्रस्तुत वार्षिक बजट (2025–26) पर चर्चा प्रारम्भ हुई।

28. डॉ. अजय दत्त

    अध्यक्ष महोदय ने डॉ. अजय दत्त के भाषण का अंश कार्यवाही से हटाने का निर्देश दिया।

29. श्री रविन्द्र सिंह नेगी

    04.28 बजे *: अध्यक्ष महोदय ने प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य डॉ. अजय दत्त को सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के कारण इंगित किया और उन्हें बाहर भेज दिया।*

30. श्री विरेंद्र सिंह कादियान

31. श्रीमती शिखा रॉय
32. श्री प्रेम चौहान
33. श्री अभय वर्मा, माननीय मुख्य सचेतक

05.00 बजे : सदन की भावना को ध्यान में रखते हुए, अध्यक्ष महोदय ने सदन की बैठक एक घंटे के लिए बढ़ा दी।

34. श्री मनोज कुमार शोकीन
35. श्री आशीष सूद, माननीय मंत्री
36. श्रीमती आतिशी, माननीय नेता प्रतिपक्ष

06.00 बजे : सदन की भावना को ध्यान में रखते हुए, अध्यक्ष महोदय ने सदन की बैठक एक घंटे के लिए और बढ़ा दिया।

श्रीमती रेखा गुप्ता, माननीय मुख्यमंत्री/वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

14. 06.34 बजे **वित्त वर्ष 2025–26 हेतु अनुदान मांगों पर विचार तथा पारित करना :**
श्रीमती रेखा गुप्ता, माननीय मुख्यमंत्री/वित्त मंत्री द्वारा वित्त वर्ष 2025–26 के लिए दिनांक 25 मार्च, 2025 को प्रस्तुत अनुदान मांगों पर मांग–अनुसार विचार किया गया।
अनुदान मांगों को मतदान के लिए रखा गया और ध्वनि मत से स्वीकार किया गया।

15. 06.53 बजे **विनियोजन (संख्या–02) विधेयक, 2025 :**
श्रीमती रेखा गुप्ता, माननीय मुख्यमंत्री/वित्त मंत्री ने सदन की अनुमति से *'दिल्ली विनियोजन (संख्या–02) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्या 02)'* को सदन में पुरःस्थापित किया।
प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा ध्वनि मत से स्वीकार हुआ।
विधेयक पर खण्डवार विचार हुआ।
श्रीमती रेखा गुप्ता, माननीय मुख्यमंत्री/वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उक्त विधेयक को पारित किया जाये।
प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा ध्वनि मत से स्वीकार हुआ।

16. 06.56 बजे **अध्यक्ष महोदय ने सदन शुक्रवार, दिनांक 28 मार्च, 2025 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित किया।**

दिल्ली
27 मार्च, 2025

रंजीत सिंह
सचिव